

पी.एम.श्री योजना अन्तर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री (Teaching Learning Material) के क्रय एवं उपयोग हेतु दिशा निर्देश : सत्र 2025-26

प्रस्तावना

परिचय — वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2025-26 अन्तर्गत पीएम श्री योजना अन्तर्गत चयनित 639 राजकीय विद्यालयों में शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। पीएमश्री विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सीखने की गति और अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए अधिगम सामग्री प्रदान की जानी है।

उद्देश्य —

- विद्यार्थियों को आयु-अनुरूप एवं आनन्दायी शिक्षण-अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों में क्रियात्मक व सृजनात्मक कौशलों का विकास कराना।
- विद्यार्थियों को स्वयं करके ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराना।

बजट प्रावधान

पीएमश्री की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई है —

Major Component	Activity Master	Activity Name	Phy.	Unit Cost (In lakhs)	Financial (In lakhs)
Curriculum, Pedagogy and Assessment	Project Innovation (Recurring)	Teaching Learning Material (Class 1-5) (Reading Corner Rack, / NIPUN Mela, Art Kit, Graded Readers Set)	59973	0.005	299.865

नोट —कक्षा 1-5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रति विद्यार्थी 500 रु. की दर से राशि स्वीकृत की गई है।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.18 19:54:14 IST
Reason: Approver



लेखा संबंधी नियम

- इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
- व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
- इस राशि का उपयोग उपरोक्त गतिविधि एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- क्रय की जाने वाली सामग्री में "राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियमों 2013" की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।

गतिविधि का क्रियान्वयन

शिक्षण अधिगम सामग्री अन्तर्गत पीएमश्री विद्यालयों में निम्न सामग्री पीएमश्री विद्यालयों द्वारा क्रय की जानी है—

1. डिस्पले रैक (विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न TLM को प्रदर्शित करने के लिये)
2. अबैकस (Abacus)
3. कला किट मय स्कूल बैग

उक्त गतिविधियों का निम्नानुसार क्रियान्वयन किया जाना है —

➤ डिस्पले रैक (विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न TLM को प्रदर्शित करने के लिये) —

- प्रत्येक पीएमश्री विद्यालय को राशि 7000 रुपये डिस्पले रैक हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।
- पीएमश्री विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) में शैक्षणिक सामग्री, चार्ट, छात्र कार्य, TLM इत्यादि प्रदर्शित करने हेतु डिस्पले रैक क्रय की जाये।
- डिस्पले रैक का माप — ऊँचाई 5 फीट, चौड़ाई 3 फीट एवं गहराई 1.5 फीट
- शेल्फ की संख्या — न्यूनतम 4
- फ्रेम — तीन तरफ जंग रौधक धातु/लकड़ी से निर्मित एवं काँच के डिस्पले वाली। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए, रैक के कौने नुकीले (तेज किनारे या बाहर निकले) ना हो इसका स्पष्ट ध्यान रखा जाए।
- रैक वजनदार हो रखने में डगमगाये नहीं जिससे गिरने की संभावना न हो।
- क्रय की गई डिस्पले रैक में पीएमश्री योजना का लोगो अंकित किया जाये।

➤ अबैकस (Abacus) —

- कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों में बुनियादी संख्या ज्ञान में अभिवृद्धि हेतु प्रति विद्यालय 5 Abacus क्रय किये जाने हैं। प्रति Abacus राशि 100 रुपये की दर से कुल 500 रुपये विद्यालयों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.18 19:54:14 IST
Reason: Approved

- विद्यार्थियों की सुरक्षा के मध्यनजर सही गुणवत्तायुक्त प्लास्टिक/लकड़ी का Abacus क्रय किया जाये।
- फ्रेम एवं बीड्स – न्यूनतम 12x6 इंच एवं न्यूनतम 10 रोड प्रत्येक रोड में न्यूनतम 5 बीड एवं प्रत्येक रोड में अलग-अलग रंग के बीड हो।
- डिजाइन – कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के सुलभ उपयोग हेतु रंग व डिजाइन वाला Abacus क्रय किया जाये।

➤ **कला किट मय स्कूल बैग –**

- प्रत्येक पीएमश्री विद्यालय को कक्षा 1 से 5 में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी राशि 400 रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। इस राशि के माध्यम से विद्यार्थियों को कला किट मय स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाये।
- स्कूल बैग हेतु 250 रुपये निर्धारित है, शेष 150 रुपये कला किट हेतु निर्धारित किये गये हैं।
- स्कूल बैग Polyester/ Canvas मटेरियल का उच्चगुणवत्ता का क्रय कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाए।
- स्कूल बैग में न्यूनतम 2 कम्पार्टमेंट एवं 1 बाह्य जेब होनी चाहिए।
- स्कूल बैग पर पीएमश्री योजना का लोगो अंकित किया जाए।
- स्कूल बैग की साइज कक्षा 1 से 5 में पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया जाये।
- कक्षा 1 से 5 के प्रत्येक विद्यार्थी को 150 रुपये की निम्नानुसार कला किट सामग्री उच्च गुणवत्ता युक्त उपलब्ध कराई जानी है।

क्र.सं.	सामग्री	विवरण
1.	स्क्रेप बुक/स्केच बुक (32 पेज)	कक्षानुसार प्रति विद्यार्थी-01
2	कलरिंग बुक (32 पेज)	कक्षानुसार प्रति विद्यार्थी-01
3	क्रेयोन्स	प्रति विद्यार्थी एक सैट
4	पेन्सिल कलर	प्रति विद्यार्थी एक सैट
5	स्केच कलर/वाटर कलर	एक सैट
6	Glue Stick	1 नग
7	पेन्सिल	2 नग
8	रबर	1 नग
9	शार्पनर	1 नग
10	स्केल	6 इंच
11	Drawing Box	1 नग

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.18 19:54:14 IST
Reason: Approved

- कला किट अन्तर्गत प्राप्त सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने हेतु किया जाना है।
- अध्यापक गृहकार्य के समय ऐसी गतिविधियां प्रस्तावित करें जिससे विद्यार्थी कला किट सामग्री का उपयोग घर पर भी कर सकें।
- कला किट में प्राप्त सामग्री कलर बुक, स्क्रैच बुक में नियमित कार्य करने हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए।
- विद्यार्थियों को मुक्त रूप से कार्य करने हेतु स्वतन्त्रता प्रदान करें।
- कलर के माध्यम से अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करें।
- सृजनात्मक विकास हेतु छात्रों को प्रेरित करना जैसे— Thump Painting, Onion Painting, Cotton Painting etc.
- छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ सृजनात्मक विकास को बढ़ावा देने हेतु कक्षा स्तरानुसार गतिविधियां जैसे— कलरिंग, कोलाज, लीफ पेन्टिंग आदि नियमित रूप से यथा समय स्वयं करवाने के साथ छात्रों को घर पर भी करने हेतु प्रेरित किया जाए।

उत्तरदायित्व

1. जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य/दायित्व

- ब्लॉक एवं पीएमश्री विद्यालयों तक दिशा निर्देशों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- पीएमश्री विद्यालय स्तर पर TLM सामग्री के क्रय एवं उपयोगिता हेतु जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी नियुक्त कर मॉनिटरिंग कार्य करना।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीईईओ के साथ सतत रूप से TLM सामग्री के उपयोग की समीक्षा बैठक आयोजित करना।
- TLM सामग्री अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई कला किट मय स्कूल बैग के विद्यालय स्तर विद्यार्थियों को वितरित करने एवं उनके द्वारा उपयोग की अद्यतन प्रगति से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर को अवगत कराना।

2. ब्लॉक स्तर पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व :

- प्रत्येक विद्यार्थी तक TLM सामग्री अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई कला किट मय स्कूल बैग का वितरण एवं उपयोग की सघन मॉनिटरिंग करना।
- पीईईओ/यूसीईईओ के साथ आमुखीकरण एवं समीक्षा बैठक आयोजित कर फीडबैक प्रदान करना।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.18 19:54:14 IST
Reason: Approved

3. पीएमश्री संस्थाप्रधान के कार्य/दायित्व :

- TLM सामग्री अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले डिस्पले रैक एवं Abacus का दिशा निर्देशानुसार क्रय कर विद्यालय स्तर पर उपयोग सुनिश्चित करना।
- सामग्री क्रय में लेखा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाये।
- कक्षावार नामांकन के अनुसार विद्यार्थियों को TLM सामग्री अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई कला किट मय स्कूल बैग का वितरण कराना।
- अभिभावकों को कला किट के उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- कक्षा कक्षीय गतिविधियों अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना एवं विषय अध्यापकों/विद्यार्थियों को प्रेरित करना।
- शिक्षकों के साथ कला किट से विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करना।
- सामग्री का क्रय एसडीएमसी/एसएमसी की बैठक में प्रस्ताव पारीत कर किया जाये।
- शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय हेतु निर्धारित बजट में आवश्यकता होने पर एसडीएमसी/एसएमसी से प्रस्ताव पारित कर आंशिक संशोधन किया जा सकता है।

4. शिक्षक/शिक्षिकाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य :

- प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना।
- कक्षा कक्षीय गतिविधियों अन्तर्गत प्रस्तावित गृहकार्य में कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना। विद्यार्थियों में कला किट सामग्री के द्वारा सृजनात्मकता का विकास करना।
- विद्यार्थियों द्वारा किये गये सृजनात्मक कार्य को कक्षा कक्ष/प्रार्थना स्थल/बालसभा के मंच पर प्रदर्शित करना।
- डिस्पले रैक में विद्यार्थियों की रचनाएँ, TLM, चार्ट इत्यादि प्रदर्शित कर विद्यार्थियों की पहुँच सुनिश्चित करना।
- अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को कला किट के बारे में जानकारी देते हुए उपयोग हेतु प्रेरित करना।
- विद्यार्थियों द्वारा तैयार सामग्री को बहु विषय आधारित उपयोग हेतु प्रेरित करने हेतु मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करना।

मॉनिटरिंग एवं रिपोर्ट

- समस्त जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीएमश्री विद्यालय निरीक्षण कर TLM सामग्री के क्रय एवं उपयोगिता की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.18 12:54:14 IST
Reason: Approved

- सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक मंगलवार को अपने क्षेत्राधीन पीईईओं की ऑनलाईन मिटिंग लेकर इस कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे।
- पीएमश्री संस्थाप्रधान द्वारा TLM सामग्री के क्रय के उपरान्त उसकी फोटो एवं विद्यार्थियों द्वारा उपयोग करते समय की फोटो एवं उपयोगिता रिपोर्ट ब्लॉक, जिला एवं परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

समयसीमा

- TLM सामग्री अन्तर्गत परिषद् से राशि प्राप्त होने के 7 दिवस में सामग्री का क्रय कर विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
- कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जानें वाली TLM सामग्री का उपयोग सत्र पर्यन्त किया जाना है।

दस्तावेजीकरण—

- शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) के क्रय संबंधी समस्त दस्तावेज विद्यालय में संधारण किया जाए साथ ही स्टॉक रजिस्टर संधारित किया जाये।

(अनुपमा जोरवाल)

राज्य परियोजना निदेशक एवं
आयुक्त

क्रमांक:—रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/(PM SHRI-TLM)/2025-26/15912860 दिनांक 18/6/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
6. अति. राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम/द्वितीय समग्र शिक्षा, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. उपायुक्त पीएमश्री, रास्कूलशिप, जयपुर।
9. जिला प्रभारी, समस्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिशा निर्देश को समग्र शिक्षा की वेब साइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले।
13. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
15. UCEE/PEEO, समस्त।
16. प्रधानाचार्य, पीएमश्री विद्यालय, समस्त जिले।
17. कार्यालय प्रति।

Signature valid

Digitally signed by Anupama Jorwal
Designation: State Project Director
Date: 2025.06.18 19:54:14 IST
Reason: Approved